संख्या 2333 / XVII(4)/2011/13105

[illegible] हॅंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 8 नवम्बर, 2011

विषय: समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों / सहायिकाओं / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय की दरों को पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 1–1 / 2011–सी0डी0–1 दिनांक 11–7–2011 के अनुक्रम में एवं आपके पत्र संख्या सी–589 / आ0बा0स्था0–944ब0 / 2011–12 दिनांक 30–7–2011 तथा पत्र संख्या सी–937 आई0सी0डी0एस0 / मानदेय वृद्धि / बजट मांग / 1973 / 2011–12 दिनांक 10–9–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निम्न तालिका के स्तम्भ–2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 1–4–2011 से पुनरीक्षित मासिक मानदेय की दर स्वीकृत करते हुये तथा स्तम्भ–3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दिये जाने वाले मासिक मानदेय को सम्मिलित करते हुए स्तम्भ –4 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

मानदेय पद का नाम	केन्द्रीय अंशदान के रूप में दिनांक 1–4–2011 से पुनरीक्षित मानदेय (रू0 प्रतिमाह)	राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (रू0 प्रतिमाह	कुल मानदेय (रू0 प्रतिमाह)
1	2	3	4
अ–आंगनबाड़ी कार्यकत्री			
1.हाईस्कूल से कम शिक्षा प्राप्त	2938.00	1500.00	4438.00
2. हाईस्कूल से कम शिक्षा प्राप्त तथा 05 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय सेवा में कार्यरत	2969.00	1500.00	4469.00
3. हाईस्कूल से कम शिक्षा प्राप्त तथा 10 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय सेवा में कार्यरत	3000.00	1500.00	4500.00

[illegible]	3000.00	1500.00	4500.00
5. हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा 05 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय सेवा में कार्यरत	3031.00	1500.00	4531.00
6. हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा 10 वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय सेवा में कार्यरत	3063.00	1500.00	4563.00
(ब) आंगनबाड़ी सहायिका	1500.00	750.00	2250.00
(द) मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	1500.00	—	1500.00

2— भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित मानदेय की दरें दिनांक 1—4—2011 से ही लागू होगी। अतः आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का 01 अप्रैल 2011 से अब तक की अवधि की देनदारी (एरियर) का भुगतान भी चालू वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3— भारत सरकार के पत्र दिनांक 11—7—2011 में निर्गत दिशानिर्देशो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4— उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के निम्नलिखित अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निर्दिष्ट सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

- अनुदान सुख्या 15 के लेखाशीर्षक—2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—102—बाल कल्याण—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना—0102—समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) के अन्तर्गत मानक मद—07 मानदेय के नामें डाला जायेगा।
- अनुदान सुख्या 30 के लेखाशीर्षक—2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—102—बाल कल्याण—02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—0203—समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) के मानक मद—07 मानदेय के नामे डाला जायेगा।
- अनुदान सुख्या 31 के लेखाशीर्षक—2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—04—समन्वित बाल विकास योजनायें जनजातीय क्षेत्र (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)—00 के मानक मद—07 मान्देय के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या 226 (P)/ XXVII(3)/2011—12 दिनांक 3—11—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या 2333/XVII(4)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़ देहरादून।

2– सचिव/अनुसचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

6– निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड, देहरादून।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड

8– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड

9– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।

11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव